

03/01/22

पत्रावली पेन्ना डई | उमपपक्ष आधिवक्ता  
 अनु०। न्यायालय समय में उमपपक्ष  
 आधिवक्ताओं को कत-कर तीन बार  
 आवाज भगाई, लेकिन उमपपक्ष की ओर  
 से कोई अप० नहीं आया, अतः वादी का वाद  
 एवं प्रतिवादी का काफ़ूर अफद परकी अउम  
 हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फ़ैसल शुमार होकर दफ़्तर धर हो संख्या  
 से नम हो।

सहायक कलक्टर  
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

